R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड IX ◆ अंक 6
दिसम्बर 2012

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

वर्ष 2012 की महत्वपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियाँ

जनवरी

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 28 जनवरी 2012 को शुरू होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंकों की कमी करते हुए उसे उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 6.00 प्रतिशत से घटाकर 5.50 प्रतिशत किया गया।
- सरकारी मार्ग के अंतर्गत एकल ब्राँड उत्पाद कारोबार में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई।
- निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जोखिम लेने वाले स्टाफ तथा नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा ये दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2012-13 से कार्यान्वित किए जाएँगे।

फरवरी

- बैंकों को सूचित किया कि बैंक वे आवास ऋण मंजूर करते समय आवासीय संपत्ति का मूल्य तय करने के लिए आवासीय संपत्ति की लागत में स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभारों को शामिल नहीं करें।
- बैंक दर को 13 फरवरी 2012 को कारोबार की समाप्ति से सीमांत स्थायी सुविधा दर (एमएसएफ) के समरूप बनाया गया, जो बदले में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर से सहबद्ध है। आगे से जब भी सीमांत स्थायी सुविधा दर का समायोजन होगा, रिज़र्व बैंक इस पर विचार करेगा और बैंक दर को संशोधित सीमांत स्थायी सुविधा दर के समरूप बनाएगा। प्रारक्षित अपेक्षाओं में कमी पर सभी दण्डात्मक ब्याज दरों को भी संशोधित किया गया, जो विशिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं।
- किसी दस्तावेजीकरण की औपचारिकता के बगैर आयात के लिए विदेशी मुद्रा विप्रेषण की सीमा 21 फरवरी 2012 से 500 अमरीकी डॉलर अथवा उसके सममूल्य से बढ़ाकर 5000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके सममूल्य की गई है।
- चलनिधि जोखिम प्रबंध तथा चलनिधि मानकों पर बासेल III ढाँचे पर प्रारूप दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 21 फरवरी 2012 को अभिमत और प्रतिसूचना के लिए जारी किए गए।

मार्च

- प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा आवश्यक रूप से बनाए रखे जाने वाले औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 10 मार्च 2012 को शुरू होने वाले पखवाड़े से 75 आधार अंकों से घटाते हुए उनकी निवल माँग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.50 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत किया गया है।
- सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे (i) स्वर्ण के गहनों के संपार्श्विक के बदले संस्वीकृत ऋणों के 60 प्रतिशत तक मूल्य के लिए ऋण अनुपात(एलटीवी) बनाए रखें और (ii) अपनी कुल आस्तियों के लिए ऐसे ऋणों का प्रतिशत अपने तुलनपत्र में प्रकट करें।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लघु वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदण्डों को लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2013 तक बढ़ाई गई।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को सूचित किया गया है कि वे भारत में एकल निवासी द्वारा भारत के बाहर अपने नज़दीकी संबंधियों से लिए गए ऋणों की चुकौती के लिए संबंधित उधारदाता के अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी(बैंक) एफसीएनआर (बी) खाते में जमा करने की अनुमति शर्तों के अधीन दें।
- पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के मूल्य के क्रमश: 24 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की सकल निवेश सीमा के अंतर्गत भारत के मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों में किसी भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर की खरीद/बिक्री (पंजीकृत दलालों के माध्यम से) करने की अनुमति दी गई है।

अप्रैल

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 50 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 8.50 प्रतिशत से घटाकर 8.00 प्रतिशत किया गया ।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.00 प्रतिशत पर स्वत: समायोजित हो गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 9.00 प्रतिशत पर स्वत: समायोजित हो गई।
- 17 अप्रैल 2012 से दूसरे पिछले पखवाड़े से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार सीमा को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया।
- बैंक दर में 50 आधार अंकों की कमी करते हुए 17 अप्रैल 2012 से इसे 9.50 प्रतिशत से 9.00 प्रतिशत पर समायोजित किया गया है। प्रारक्षित अपेक्षाओं में कमी पर सभी दण्डात्मक ब्याज दरें भी संशोधित की गईं जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं।
- एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे किसी निवेशक को राहत/बचत बॉण्डों में देरी से प्राप्ति/ब्याज वारंट/परिपक्वता मूल्य को देरी से जमा किए जाने के कारण हुई वित्तीय हानि के लिए प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की निर्धारित दर से क्षतिपूर्ति करें।
- स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात की निर्देशात्मक सूची में अपेक्षित कागजात (i) एकल स्वामी के नाम में आयकर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/स्वीकृत पूर्ण आयकर विवरणी जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो, और (ii) स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल शामिल किए जाएँ।
- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे ऋणों की समान मासिक किस्तों (ईएमआई)/ चुकौती आदि का भुगतान करने के लिए ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) को चुनने की भी अनुमति दें।

- अपने ग्राहक को जानें(केवाईसी)/काला धन-आशोधन(एएमएल)/ आतंकवाद आवश्यकताओं के वित्तपोषण से लड़ने (सीएफटी) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को अब विदेश में निजी/कारोबारी यात्रा पर जाने वाले निवासियों को विदेशी मुद्रा के प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए अनुमति दी गई।
- भारतीय पार्टी को भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोलने/धारण करने/बनाए रखने से संबंधित विनियमों को उदार बनाया गया। भारतीय पार्टी अब समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजनार्थ शर्तों के तहत विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है/धारण कर सकती है /उसे बनाए रख सकती है।
- ऊर्जा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अनुमोदन मार्ग से लिए नए बाह्य वाणिज्यिक उधार में से 40 प्रतिशत का घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों के पुनर्वित्त हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई, बशर्ते लिए जाने वाले प्रस्तावित नए बाह्य वाणिज्यिक उधार की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना/परियोजनाओं में नए पूंजी व्यय के लिए किया जाए।
- सड़कों और राजमार्गों के लिए चुंगी प्रणाली के रखरखाव और परिचालन के लिए स्वचालित मार्ग से पूँजी व्यय और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति दी गई बशर्ते, वह मूल परियोजना का हिस्सा हो।
- किसी विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्तीयन के लिए इच्छुक उधारकर्ताओं को अनुमति दी गई है कि वे मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्तीयन/ऋण की अवधि के पुनर्निर्धारण हेतु अनुमोदन मार्ग के तहत उच्चतर समग्र लागत पर बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं बशर्ते बढ़ी हुई समग्र लागत मौजूदा दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत से अधिक न हो।

मई

- बासेल III पूँजी विनियमनों पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए। उक्त दिशानिर्देश एक चरणबद्ध रूप से 1 जनवरी 2013 से लागू होंगे। बासेल III पूंजी अनुपात 31 मार्च 2018 से पूरी तरह कार्यान्वित होंगे।
- 4 मई 2012 को भारत में कारोबार की समाप्ति से एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों को संशोधित किया गया। 1 वर्ष से 3 वर्ष से कम तक की परिपक्वता वाली जमाराशियों के लिए लाइबोर/स्वैप से 200 आधार अंक अधिक तथा 3 - 5 वर्षों की परिपक्वता वाली जमाराशियों के लिए ब्याज दरों को संशोधित करते हुए लाइबोर/स्वैप से 300 आधार अंक अधिक किया गया।
- जमाराशि देयताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को (i) अपनी विदेशी मुद्रा ज़रूरतों को पूरा करने अथवा (ii) विदेशी मुद्रा ऋण निर्यातकों/कंपनियों को जिनके पास स्वाभाविक हेज है या जिनके पास विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध करने के लिए जोखिम प्रबंध नीति है, के निवासी संघटकों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करने के उपयोग की अनुमति दी गई।
- निर्यातकों के लिए निधियों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजन से 5 मई 2012 से बैंकों को विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गई ।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे अन्य बैंक से खातों को टेक-ओवर करने के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनाएँ। इस नीति में टेक-ओवर किए गए खातों के स्वरूप से संबंधित मानदण्ड, टेक-ओवर की मंजूरी के लिए प्राधिकृत स्तर, टेक-ओवर के बारे में उच्च प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, टेक-ओवर खातों की निगरानी की व्यवस्था, टेक-ओवर खातों की ऋण लेखा-परीक्षा, स्टाफ के उत्तरदायित्व की जाँच खासकर, टेक-ओवर के बाद ऐसे मामलों की तुरंत समाप्ति की जाने के मामले में, बोर्ड/बोर्ड समिति स्तर, उच्च प्रबंधन स्तर आदि के बारे में टेक-ओवर खातों की आवधिक समीक्षा शामिल होगी।
- चूँकि ज्यादातर बैंक शाखाएं अब मुख्य बैंकिंग समाधान(सीबीएस) पर हैं और किसी ग्राहक विशेष के केवाईसी रिकार्ड बैंक की किसी भी शाखा द्वारा देखे जा सकते हैं,अतः बैंकों को सूचित किया गया कि बैंक की किसी एक शाखा द्वारा एक बार केवाईसी किए जाने पर वह केवाईसी बैंक के भीतर खाते के अंतरण के लिए वैध है।
- एजेंसी बैंकों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कारोबार के लिए उन्हें दिए जानेवाले एजेंसी कमीशन (जिसे टर्नओवर कमीशन भी कहा जाता है) की दरों को संशोधित किया गया।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में यथापरिभाषित अनिवासी भारतीय अब से एनआरओ खाते से एनआरई खाते में प्रति वित्तीय वर्ष एक मिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर यथालागू कर के भुगतान की शर्त पर निधियों के अंतरण के लिए पात्र होंगे।
- विविध प्रयोजनों के लिए प्रलेखीकरण औपचारिकताओं के बगैर विदेशी मुद्रा के विप्रेषण की 5000 अमरीकी डॉलर की सीमा 7 मई 2012 से 25000 अमरीकी डॉलर की गयी ।
- जहाँ कोई औपचारिक समाशोधन गृह न हो वहाँ के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
- जिन बैंकों ने एक लाख रुपये मूल्य से अधिक के लिखतों का स्टेशन से बाहर/त्वरित समाशोधन करने के संबंध में अपने सेवा प्रभार, लिखत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किए हैं, उन्हें यह सलाह दी गई कि वे इसकी समीक्षा करें और लागत के आधार पर प्रभार निर्धारित करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिखतों के संग्रहण प्रभार स्टेशन से बाहर के चेक संग्रहण की तुलना में त्वरित समाशोधन के अंतर्गत कम हैं।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे (i) कुल वित्तीय आस्तियों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक की स्वर्ण ऋण वाली एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर अपनी विनियामक एक्सपोज़र सीमा बैंक की पूंजी निधियों के मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करें। तथापि, उक्त एक्सपोज़र सीमा 5 प्रतिशत तक अर्थात बैंकों की पूंजी निधियों के 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है यदि अतिरिक्त एक्सपोज़र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र को आगे उधार दी गई निधियों के कारण है, और (ii) बैंक कुल वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्वर्ण ऋण वाली ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अपने कुल एक्सपोज़र की एक आंतरिक उप-सीमा बनाएँ।

जून

- 20 जून 2012 को "भारत में ह्वाइट लेबल स्वचालित गणना मशीनों" पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।
  रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि 5 जून 2012 से बैंक अस्थिर ब्याज दर वाले आवास ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व-भुगतान अर्थदंड नहीं लगाएँ।
- भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों: हस्तशिल्प, दरियाँ, हस्तकरघे, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), रेडीमेड वस्त्र, संसाधित कृषि उत्पाद, खेल-कूद के सामान और खिलौने को पूर्व में निर्धारित शर्तों पर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान किया है।
- निर्यात क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को 30 जून 2012 को शुरुहोने वाले पखवाड़े से 50 प्रतिशत तक पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
- बैंकों को सूचित किया है कि वे अलग-अलग ग्राहकों के साथ नये संबंध की शुरुआत करते समय अपने सभी ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने के लिए कदम उठाएँ। इसी तरह प्रत्येक मौजूदा ग्राहक को भी अप्रैल 2013 के अंत तक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आवंटित किया जाए।
- बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अदावी जमाराशियों के वर्गीकरण, शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र, रिकॉर्ड रखने और ऐसे खातों की आवधिक समीक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा मंजूर की गई नीति लागू करें।
- राज्य-स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) को अधिदेशित किया गया है कि वे 2000 से कम आबादी वाले सभी बैंक-रहित गाँवों को शामिल करते हुए एक रूपरेखा तैयार करें और राष्ट्रीय स्तर पर समयबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उन गाँवों को बैंकों को आबंटित करें। बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) और शाखाओं के सहयोग के माध्यम से 2000 से कम आबादी वाले सभी बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु रूपरेखा तैयार करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि बीसी ईकाइयों के एक समूह अर्थात् 3-4 किलोमीटर की उचित दूरी पर 8-10 बीसी ईकाइयों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई पारंपरिक शाखा हो।

जुलाई

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और वे 20 जुलाई 2012 से लागू हो गए हैं।

- बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अनिवासियों की किसी भी प्रकार की जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज दर के लाभ की अनुमति नहीं दें। तदनुसार, अनिवासी (बाह्य) (एनआरई)/अनिवासी(सामान्य) (एनआरओ)/ एफसीएनआर (बी) खातों के अंतर्गत जमाराशियों पर अपने स्टाफ को प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज दर के लाभ की अनुमति देने के लिए बैंकों को दिया गया विवेकाधिकार वापस ले लिया गया।
- डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन के लिए मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की सीमा 1 सितंबर 2012 से लागू होगी। 2000 रुपये तक की राशि के लिए एमडीआर "लेनदेन की राशि के 0.75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी"। 2000 रुपये से अधिक की राशि के लिए एमडीआर "लेनदेन की राशि के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी"।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) लेनदेन के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ग्राहक प्रभारों को तर्कसंगत बनाया गया।
- प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना लाभांश घोषित करने के मानदण्डों को संशोधित किया गया। शहरी सहकारी बैंक अब कतिपय मानदण्डों के अनुपालन की शर्त पर लाभांश घोषित कर सकते हैं।

अगस्त

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने सभी ग्राहकों के लिए न्यूनतम सामान्य सुविधाएं (i) बिना किसी न्यूनतम शेष की अपेक्षा, (ii) बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएमों में नकदी जमा और आहरण सुविधा, (iii) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों अथवा केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति/जमा (iv) एक माह के दौरान जमा करने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं, (v) एक माह के अंदर एटीएम आहरणों सहित अधिकतम चार आहरणों की ही अनुमति, और (vi) एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा के साथ एक "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" खोलने का प्रस्ताव दें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे देयताओं की कीमतें निर्धारित करने के संबंध में बोर्ड द्वारा मंजूर की गई एक पारदर्शी नीति लागू करें और यह भी सुनिश्चित करें कि 15 लाख रुपये एवं उससे अधिक की एकल सावधि जमाराशियों तथा समान परिपक्वता अवधि की अन्य (अर्थात 15 लाख रुपये से कम) सावधि जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों में न्यूनतम अंतर है।
- रिज़र्व बैंक ने पुनः यह सूचित किया कि दोनों खाताधारकों में से 'कोई एक अथवा उत्तरजीवी' अथवा दोनों खाताधारकों में से 'प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी' अधिदेश वाली सावधि/मीयादी जमाराशियों के मामले में बैंक एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तरजीवी संयुक्त जमाकर्ता द्वारा जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण की अनुमति केवल उसी स्थिति में दे सकते हैं जब संयुक्त जमाकर्ताओं की ओर से इस आशय का संयुक्त अधिदेश हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे खाता खोलने संबंधी फॉर्म में ही इस आशय का एक वाक्यांश शामिल करें कि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मीयादी जमाराशियों की अवधिपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी, जो उन शर्तों के अधीन होगी जिन्हें खाता खोलने संबंधी फॉर्म में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे स्थानीय चेकों के संग्रहण के मामले में भी देरी से किए गए भुगतान के संबंध में देय क्षतिपूर्ति को शामिल करने के लिए अपनी चेक संग्रहण नीति में संशोधन करें। यदि स्थानीय चेक की वसूली में हुई देरी के संबंध में कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो विलंब की संगत अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)11 अगस्त 2012 को शुरू होने वाले पखवाड़े से 24 प्रतिशत से घटाकर उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23 प्रतिशत किया गया।
- देश भर में सभी समाशोधन स्थानों पर बाहरी चेकों के समाशोधन के लिए प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर विचार करते हुए तथा चेक समाशोधन में और भी अधिक कुशलता लाने के लिए सभी सीबीएस सक्षम बैंकों को सूचित किया गया कि वे सभी पात्र ग्राहकों को केवल "सममूल्य पर देय"/ "मल्टीसिटी" सीटीएस 2010 मानक चेक ही जारी करें।
- टियर 2 केन्द्रों में बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को टियर 3 से 6 केन्द्रों हेतु वर्तमान नीति के समान टियर 2 केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए। तदनुसार वे टियर 2 केन्द्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या) रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना कतिपय शर्तों के अधीन शाखाएं खोल सकते हैं।
- विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी) खाते में 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा आय को जमा करने की अनुमति देने वाले पहले के निर्धारण को इस शर्त के अधीन लागू किया जाए कि किसी कैलेण्डर माह के दौरान खाते में उपचित कुल राशि को अनुमोदित प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं के लिए शेष के उपयोग हेतु समायोजन के बाद वाले कैलेण्डर महीने के अंतिम दिन को अथवा उसके पहले रुपए में परिवर्तित किया जाए।
- अपने निवेश के बचाव के लिए बुक की गई कुल संविदाओं के 25 प्रतिशत की सीमा तक वायदा संविदाओं के निरसन और दुबारा बुकिंग के लिए निर्यातकों को अनुमति दी गई।

सितंबर

- भारत सरकार द्वारा 15 लाख रुपए तक के आवास ऋणों को 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना प्रदान की गई जहाँ आवास की लागत 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है के अनुपालन में बैंकों को सूचित किया गया कि वे जोर-शोर से इस योजना का कार्यान्वयन करें, शीघ्रता से राष्ट्रीय आवास बैंक को अपने दावे प्रस्तुत करें तथा इस योजना का लाभ सभी पात्र उधारकर्ताओं/ हिताधिकारियों को प्रदान करें।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बनाए रखे जाने वाले आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए उसे 22 सितंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.75 प्रतिशत से घटाकर 4.50 प्रतिशत किया गया।
- बैंकों को अनुमति दी गई कि वे फैक्टरिंग कंपनियों को फैक्टरिंग कारोबार में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।
- बैंकों को अपनी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा पुनर्संचित खातों का प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने के लिए अपनी सामर्थ्य में सुधार करने की दृष्टि से तथा यह विचार करते हुए कि प्रायः बैंकों की सभी शाखाएं पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हैं, बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी और एमआईएस ढाँचे की समीक्षा करें तथा अलग-अलग खाता स्तर के साथ-साथ खण्ड स्तर पर परेशानी के संकेतों का शीघ्र पता करने के लिए एक मज़बूत एमआईएस व्यवस्था लागू करें।
- सीटीएस 2010 मानक चेक प्रारूप को समयबद्ध तरीके से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे (i) 30 सितंबर 2012 तक केवल मल्टी सिटी/सममूल्य पर देय सीटीएस 2010 मानक चेक जारी करें, (ii) एसएमएस, पत्रों, शाखाओं/एटीएम में स्थित डिस्प्ले बोर्डों, इन्टरनेट बैंकिंग में लॉग ऑन मैसेजों, वेबसाइट इत्यादि के माध्यम से ग्राहकों के बीच जागरूकता का सृजन करते हुए 31 दिसंबर 2012 से पहले परिचालन में गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों को वापस मंगाने की व्यवस्था करें, और (iii) जिन बैंकों के पास आगे की तिथि के ईएमआई चेक हैं (चाहे वे बैंकों के स्वयं के नाम पर हों या उनकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम पर) वे 31 दिसंबर 2012 तक गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों के स्थान पर सीटीएस 2010 मानक चेकों को लाएँ।
- वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति (ए) सरकारी मार्ग के अंतर्गत केवल एक अनिवासी संस्था द्वारा चाहे वह ब्रैण्ड का स्वामी हो अथवा अन्यथा एकल-ब्रैण्ड उत्पाद खुदरा उत्पाद में 100 प्रतिशत तक, (बी) सरकारी मार्ग के अंतर्गत मल्टी-ब्रैण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक, (सी) स्वचालित / सरकारी मार्ग के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन परिचालित नागरिक उड्डायन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की पूँजी में विदेशी एयरलाईन्स द्वारा 49 प्रतिशत तक, और (डी)सरकारी मार्ग द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाज़ार) विनियमन 2010 के अंतर्गत पंजीकृत ऊर्जा बाज़ार में 49 प्रतिशत तक दी गई।
- मूलभूत सुविधा क्षेत्र की कंपनियों को जहाँ "मूलभूत सुविधा" बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर विद्यमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित की गई है, को शर्तों के अधीन पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि तक व्यापार ऋण के उपभोग की अनुमति दी गई।
- अधिकतम अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार जिसका उपभोग कोई एकल कंपनी कर सकती है को तत्काल में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत विदेशी मुद्रा आय के 75 प्रतिशत तक अथवा तत्काल

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-जीपीओ में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

में किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त अधिकतम विदेशी मुद्रा आय के 50 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो तक बढ़ाया गया।

- अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को अपने अनुमत निवेशों (ईक्विटी और कर्ज लिखतों) के संबंध में अपनी मुद्रा जोखिमों को हेज करने की अनुमति दी गई।
- रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि भारत में विदेशी गैर-सरकारी संगठनों/ गैर-लाभकारी संगठनों/विदेशी सरकारी निकायों/विभागों द्वारा चाहे किसी भी नाम में हो, कार्यालय स्थापित करने की अनुमति सरकारी मार्ग के अंतर्गत दी जाती है। तदनुसार, इन संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे चाहे परियोजना कार्यालय या अन्य कार्यालय के रूप में भारत में किसी कार्यालय की स्थापना हेतु पूर्व अनुमति के लिए रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करें।

अक्टूबर

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर दिशानिर्देशों में कतिपय परिवर्धन और संशोधन 20 जुलाई 2012 को जारी किए गए।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को शर्तों के अधीन किसी भी नियत तारीख को भारत में ईक्विटी और/अथवा ऋण में अपने समस्त निवेश के बाजार मूल्य पर अपनी मुद्रा जोखिम के बचाव (हेजिंग) के लिए किसी भी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से संपर्क करने की अनुमति दी गई।
- बैंकों को अनिवासी (बाह्य) स्पया खाता [एनआर(ई)आरए] और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों के बदले या तो जमाकर्ताओं अथवा तृतीय पक्षों को ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई।
- रिज़र्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों का ईक्विटी / आईपीडीआई में रूपांतरण सहित, प्रस्तुत वित्तीय पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करेगा, यदि इस प्रकार के जमाराशि रूपांतरण के बाद भी बैंक का नेटवर्थ सकारात्मक नहीं हुआ है, बशर्ते जमाकर्ता इस प्रकार के रूपांतरण के लिए स्वैच्छिक रूप से राजी हो।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे एकल ग्राहकों के साथ किसी भी नये संबंध की शुरुआत करते समय अपने सभी ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित करने के लिए कदम उठाएँ। इसी तरह प्रत्येक मौजूदा ग्राहक को भी मई 2013 के अंत तक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आबंटित किया जाए।
- 3 नवंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 4.50 प्रतिशत से घटाकर 4.25 प्रतिशत किया गया।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

अपने सभी पाठकों के लिए

शुखी और समृद्ध

नव वर्ष की कामना करता है

नवंबर

- बैंकों की परिचालनात्मक स्वतंत्रता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को रिपोर्टिंग की शर्त पर प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना टीयर 1 केंद्रों में पूर्णतया प्रशासनिक और नियंत्रण का कार्य (क्षेत्रीय कार्यालय/आँचलिक कार्यालय) करने के लिए कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई।
- रिज़र्व बैंक ने यह दुहराया कि बैंकों को महानगरीय, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों से संबंधित परिसरों को पट्टा / किराएदारी आधार पर लेने के लिए अपने निदेशक बोर्ड द्वारा तैयार की गई नीतियों और परिचालनगत दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। शाखा खोलने के लिए परिसर का अधिग्रहण करते समय बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा की भौगोलिक स्थिति महानगरपालिका / नगरपालिका / शहरी क्षेत्र प्राधिकारी / ग्राम पंचायत अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकारी के स्थानीय मानदण्डों / कानूनों का पालन करती है।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा को 27 मार्च 2012 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची के अनुरूप किया जाए। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की संशोधित परिभाषा 20 नवंबर 2012 से लागू होगी। उप क्षेत्रों के तहत आने वाले परियोजनाओं के लिए बैंकों का एक्सपोज़र जिन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर की विगत परिभाषा में शामिल किया गया था किंतु संशोधित परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, को परियोजनाओं के समाप्त होने तक ऐसे एक्सपोज़रों के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' के तहत लाभ मिलना जारी रहेगा। तथापि, उन उप-क्षेत्रों को 20 नवंबर 2012 से दी जाने वाली किसी भी नए उधार को 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' के रूप में नहीं माना जाएगा।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऋण, डेरिवेटिवज़ और अरक्षित (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्पोज़र के संबंध में अपने बीच जानकारी बाँटने संबंधी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करें और दिसंबर 2012 के अंत तक सूचना सहभागिता के लिए एक प्रभावी व्यवस्था लागू करें। 1 जनवरी 2013 से नए / वर्तमान उधारकर्ताओं को नए ऋण / अस्थायी ऋण / ऋणों के नवीकरण की कोई भी मंजूरी आवश्यक सूचना प्राप्त करने / उनके बीच बाँटने के बाद ही की जाए।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण एक्सचेंड ट्रेडेड निधियों की इकाईयाँ तथा स्वर्ण म्युच्यूअल फण्डों के यूनिट सहित किसी भी रूप में स्वर्ण की खरीद के लिए कोई अग्रिम न दें।
- बैंकों को सलाह दी गई है कि वे कंपनियों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से उत्पन्न जोखिमों का कड़ाई से मूल्यांकन करने के लिए एक उचित व्यवस्था लागू करें और ऋण जोखिम प्रीमियम में उनका मूल्य निर्धारण करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर कंपनियों की अरक्षित स्थिति पर एक सीमा निर्धारित करने पर विचार करें।
- बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे ब्याज छूट का दावा करने वाले सभी फसल ऋण निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते है (i) उधारकर्ता एक खेतीहर (किसान) है,(ii) लागू ब्याज दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है,(iii) ऋण की राशि कृषि ऋणों के लिए वित्त की निर्धारित मात्रा के अनुसार तय की गई है और ऋण का प्रयोग उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया है, और(iv) संवितरण और वसूली दोनों के लिए मौसम का ध्यान रखा गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित कुल शाखाओं में से 25 प्रतिशत बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों (टीयर 5 से टीयर 6 तक) को आवंटित करें। बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र का अर्थ है एक ऐसा ग्रामीण केंद्र (टीयर 5 और टीयर 6) जिसके पास ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनेदेन करने के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का कोई ईमारती स्थान नहीं है।

दिसंबर

- बैंकों को कतिपय शर्तों के अधीन भारत में स्पए मूल्यवर्ग के सह-ब्रांड वाले प्री-पेड कार्ड जारी करने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई।
- बैंकों को रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना सह-ब्रांड वाले डेबिट कार्ड सहित डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई।
- गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों की निकासी तथा उनका सीटीएस-2010 मानक चेकों से प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की समय सीमा 31 मार्च 2013 तक बढ़ाई गई।
- अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत अंतिम-उपयोग के रूप में कम लागत की वहनीय आवास परियोजनाओं के लिए ईसीबी की अनुमति दी गई। ईसीबी का लाभ डेवलेपर/भवन निर्माता कम लागत की वहनीय आवास परियोजनाओं के लिए उठा सकते हैं। आवास वित्त कम्पनियां (एचएफसी)/एनएचबी कम लागत की वहनीय आवास ईकाइयों के भावी स्वामियों के वित्तपोषण के लिए ईसीबी का लाभ उठा सकती हैं।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/ चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।